IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to श्री जेराद उराँव

S/O, W/O, D/O स्व0 इग्नेश खलखो उर्फ दीवा उराँव Village: खिजरी सामटोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri/Smt. शोभा रजनी बड़ा S/O, W/O, D/O श्री अक्सेनसियुस बड़ा

Village: तामड़ा P.S: सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 22.03.2022

in Rev, C.N.T. case No 591/2021-22

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana	Thana No	Khata No.	Plot No.	Area(in acies)	Value for Sale
खिजरी	सिमडेगा	105	72	203	0.59 ए0 मे से 0.12 ए0	7,20,000.00 (सात लाख बीस हजार रुपये मात्र)

भूमि की चौहदी:

उत्तर – इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता

दक्षिण – इसी प्लॉट का अंश 10' कच्चा रास्ता (अन्य सड़क)

पूरब – इसी प्लॉट का अंश 12' कच्चा रास्ता (अन्य सड़क)

पश्चिम – इसी प्लॉट का अंश

Sd. ह0

L.R.D.C. Simdega

Memo No. 478(ii) /Rev. Dated (Simdega the 22.03.2022

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri/Smt. श्री जेराद उराँव

S/O, W/O, D/O स्व0 इग्नेश खलखो उर्फ दीवा उराँव Village: खिजरी सामटोली

P.S: सिमडेगा Dist: सिमडेगा

For Information and needful

अंगुठा निशान वा सही
जेराद उराँव व. क.
शनिचर उ. ठवार
20/05/2022

L.R.D.C. Simdega
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
22.3.22

न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा

अनमति वाद सं0 591 / 2021—22

1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

159 / 02-04-22

श्री जेराद उराँव..................आवेदक

बनाम

शोभा रजनी बाड़ा ....क्रेतिका

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी सहित तारीख
1	2	3
22.3.22	आवेदक श्री जेराद उराँव, पिता स्व0 इग्नेश खलखों उर्फ दीवा उराँव, ग्राम— खिजरी सामटोली, थाना— सिमडेगा, जिला— सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन—पत्र दायर किये है।	

भूमि विवरणः—

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
खिजरी	सिमडेगा	105	72	203	0.59 ए0 मे से 0.12 ए0

कुल रकबा (बारह डिसमील) मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को गृह निर्माण हेतु प्रस्तावित क्रेतिका— शोभा रजनी बड़ा, पिता— श्री अक्सेनसियुस बड़ा, ग्राम— तामड़ा, थाना— सिमडेगा जिला— सिमडेगा (जाति उराँव) को बिक्री कर रहे हैं। आम सुचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हैं।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 211(ii) / रा0, दिनांक 07.03.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है, न ही अंचल अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का विवाद का आपत्ति के संबंध मे प्रतिवेदन दिया गया हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत दीवा उराँव वल्द बीरसा उराँव वो पीउस उराँव वो नीकलष उराँव पे0 बुलीकेश उराँव वगै0 है। वर्तमान जमाबंदीदार दीवा उराँव वल्द बीरषा उराँव वगै0 के नाम से दर्ज है। मालगुजारी आवेदक के द्वारा दिया जाता है। बिक्रेता एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि बिक्री के पष्चात आवेदक के पास 3.67 एकड़ भूमि शेष बचता हैं।

02/04/22

अंगूठा निशान सही

जेराद उराँव बा.क.

शनिचर इन्दवार

20/05/2022

प्रधान लिपिक

भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं लगान रसीद जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0एस0टी0/2021/328272 दिनांक 25.11.2021/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या–जे0एच0आर0सी0/2021/365465/दिनांक 09.10.2021 एवं आधार संख्या 965628373709 की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न हैं। क्रेतिका की ओर से जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0एस0टी0/2021/162508 दिनांक 24.08.2021/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या–जे0एच0आर0सी0/2021/263369/दिनांक 24.08.2021 एवं आधार संख्या 289013329670 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न हैं।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मौजा– खिजरी, थाना सं0– 105 थाना– सिमडेगा के अन्तर्गत खाता संख्या– 72 प्लॉट संख्या– 203 जिसका रकबा 0.59 एकड़ मे से 0.12 एकड़ जमीन को गृह निर्माण हेतु क्रेतिका– शोभा रजनी बड़ा, पिता– श्री अक्सेनसियुस बड़ा, ग्राम– तामड़ा, थाना– सिमडेगा जिला– सिमडेगा को मो0 7,20,000.00 (सात लाख बीस हजार रुपये) मात्र में अपने राजी– खुषी से ब्रिक्री कर रहें हैं। यह हमारी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे पास 3.67 एकड़ जमीन शेष बचती है। बिक्रेता एवं क्रेतिका दोनो अनुसूचित जनजाति उराँव जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा– खिजरी, थाना सं0– 105 थाना– सिमडेगा के अन्तर्गत खाता संख्या– 72 प्लॉट संख्या– 203 जिसका रकबा 0.59 एकड़ मे से 0.12 एकड़ जमीन आवेदक श्री जेराद उराँव, पिता स्व0 इग्नेश खलखों उर्फ दीवा उराँव, ग्राम– खिजरी सामटोली, थाना– सिमडेगा, जिला– सिमडेगा द्वारा क्रेतिका– शोभा रजनी बड़ा, पिता– श्री अक्सेनसियुस बड़ा, ग्राम– तामड़ा, थाना– सिमडेगा जिला– सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री करने की.......स्वीकृति.......दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

पुनश्चः तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सिमडेगा।
22.3.22

जिला अवर निबंधक सिमडेगा

07/04/22

प्रधान लिपिक